न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भीखाराम पुत्र चेनाजी, जाति सरगरा, निवासी अचलगढ़, आबूपर्वत व अन्य – 6		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देलदर व अन्य – 2

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 18/2025

दिनांक 4/5/2026

–: निर्णय :–

वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण संख्या 1 व 2 के दादा व वादीगण संख्या 3 से 6 के परदादा व वादीया संख्या 07 के परदादीया ससुर व नाम वगताजी है। उक्त वगताजी के एक भाई था जिसका डायाजी है। उक्त दोनो भाई अर्थात् वगताजी व डायाजी के पिता का नाम केसाजी था। कि मौजा गांव अचलगढ़, पटवार हल्का ओरिया, तहसील आबूरोड़, वर्तमान तहसील देलदर, जिला सिरोही में खसरा संख्या 183, 179, 182 की कृषि भूमि स्थित रही है। उपरोक्त खसरा संख्या 183 व 182 की कृषिभूमि वगताजी व डायाजी के संयुक्त कब्जे खातेदारी की अर्थात् उन दोनो भाईयों के 1/2 – 1/2 हक हिस्से की थी और उपरोक्त खसरा संख्या 179 की कृषिभूमि उक्त डायाजी के कब्जे खातेदारी की थी और उस अनुसार उक्त वगताजी व डायाजी की मृत्यु के बाद उक्त खसरों की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त वंशावली में वर्णित वगताजी व डायाजी के वारिसान के नाम पर उनके हिस्सेनुसार दर्ज हुई और उक्त डायाजी के एकमात्र पुत्र वनाजी थे जिनकी भी मृत्यु हो गई है और वनाजी की मृत्यु के बाद वनाजी के हिस्से की भूमि उनकी पत्नि केनी के नाम पर दर्ज हुई थी। उक्त केनी पत्नि वनाजी का दिनांक 13.05. 1985 को नाऔलाद निधन हो चुका है जिस कारण कानुनन उक्त वनाजी के हक हिस्से की उपरोक्त खसरों की जो भूमि उनकी पत्नि केनी के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी उस भूमि के खातेदार उक्त केनी की नाआलौद मृत्यु हो जाने से वादीगण हो गए है क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादीगण की उक्त डायाजी व उनके पुत्रवधु क्रमशः वनाजी व केनी के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने केनी पत्नि वना की मृत्यु के बाद उपरोक्त खसरा संख्या 182, 179, 183 में से खसरा संख्या 182 व 179 में वादीगण के नाम के स्थान पर किसी चंपा पुत्री पना/पन्ना नामक महिला के नाम पर नामान्तरण कर दिया है। जबकि इस नाम की अचलगढ़ में कोई महिला नही है और न ही इस नाम की कोई महिला केनी पत्नि वना की उत्तराधिकारी/पुत्री रही है। केनी पत्नि वना व वना के कोई संतान नही थी। जिस कारण उक्त खसरों की भूमि में वादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने व चंपा पुत्री पन्ना का नाम हटाने हेतु यह वाद पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर । प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये तथा अखबार में प्रकाशन करवाया गया। बावजूद कोई उपस्थित नही । अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वादी साक्ष्य एकपक्षीय लेखबद्ध कि गई।

वादीगण अधिवक्ता की बहस अंतिम सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वादीगण के अधिवक्ता की बहस तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजों के आलोक में पत्रावली का विश्लेषण किया तथा वाद दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 02 को प्रेषित किए गए समन पर आई रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिस रिपोर्ट में अंकन है कि अचलगढ़ में इस नाम का ऐसा कोई निवासी नही है। न्यायालय के विनम्र मत अनुसार मौजा अचलगढ, पटवार हल्का ओरिया, खसरा संख्या 183 व 182 की भूमि पूर्व में वगताजी व डायाजी पुत्र केसाजी के परिवारजनों के खातेदारी व खसरा संख्या 179 की भूमि डायाजी पुत्र केसाजी के परिवार के खातेदारी की होना वाद में पेश राजस्व रिकॉर्ड नामान्तरण संख्या से प्रतीत होता हैं। जिस नामान्तरण में खसरा संख्या 183 व 182 की भूमि का 1/2 भाग वाद में वर्णित वंशावली में से वगताजी के वारिस चेना पुत्र वगता व देवा पुत्र लीला के नाम पर व 1/2 भाग डायाजी के वारिस वना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.11 17:42:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

पुत्र डाया के नाम पर व खसरा संख्या 179 संपूर्ण डायाजी के वारिस वना पुत्र डाया के नाम पर दर्ज हैं तथा उसके बाद खसरा संख्या 183 की संवत् 2069–2072 की जमाबंदी का अवलोकन करें तो उस अनुसार संपूर्ण खसरा संख्या 183 वादीगण भीखा, नेनीया व शेष वादीगण के पूर्वज देवा पुत्र लीला के खातेदारी नाम पर दर्ज हुआ हैं अर्थात् इस खसरा संख्या 183 में डायाजी के वारिस के रूप में वना व उसके बाद उसकी पत्नि केनी का जो खातेदारी हिस्सा था वो भी वगताजी के उक्त वारिसान के नाम पर दर्ज हुआ हैं और इससे यह साबित होता हैं कि केनी पत्नि वना कि मृत्यु पश्चात् वगताजी के वारिसान ही केनी के वारिस/उत्तराधिकारी हैं और उस दृष्टि से देखने पर एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 02 चम्पा के समन पर आई रिपोर्ट को देखने से व अखबार में समन प्रकाशन होने के बाद भी वादीगण के वाद का विरोध करने कोई उपस्थित नहीं आने से यह स्पष्ट होता हैं कि प्रशासन गांव के संग 2001 के अभियान में खसरा संख्या 179 व 182 में केनी बेवा पना/पन्ना को मृत बताकर उसकी उत्तराधिकारी पुत्री किसी चम्पा नामक स्त्री को बताकर उसका नाम दर्ज करने की कार्यवाही हुई हैं वह गलती या चुक से हुई हैं जबकि उपर बतायेनुसार खसरा संख्या 183 की भांति खसरा संख्या 182 में केनी बेवा वना के 1/2 हिस्से को व खसरा संख्या 179 के केनी बेवा वना के नाम के संपूर्ण हिस्से को वगताजी के उपरोक्त वारिसानों वादीगण के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था।

अतः उक्त निष्कर्ष अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं और वादीगण को मौजा ग्राम अचलगढ, पटवार हल्का ओरिया, तहसील देलदर के वर्तमान खसरा संख्या 182 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कृषिभूमि के 1/2 हिस्से का व खसरा संख्या 179 रकबा 0.0126 हैक्टेयर कृषिभूमि के संपूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इन खसरों के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चले आ रहे चम्पा पुत्री पना/पन्ना नामक स्त्री का नाम हटाकर उसके स्थान पर इन खसरों की भूमि में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार देलदर को प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.5.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.11 17:42:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 18/2025

भीखाराम पुत्र चेनाजी, जाति सरगरा, निवासी अचलगढ़, आबूपर्वत व अन्य – 6

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देलदर व अन्य – 2

प्रतिवादीगण

दिनांकः– 4/5/2026

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजीर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को मौजा ग्राम अचलगढ, पटवार हल्का ओरिया, तहसील देलदर के वर्तमान खसरा संख्या 182 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कृषिभूमि के 1/2 हिस्से का व खसरा संख्या 179 रकबा 0.0126 हैक्टेयर कृषिभूमि के संपूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इन खसरों के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चले आ रहे चम्पा पुत्री पना/पन्ना नामक स्त्री का नाम हटाकर उसके स्थान पर इन खसरों की भूमि में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार देलदर को प्रदान किए जाते हैं।

तद्नुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे.....मुतलिक.....बाबत.....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद वगैरह..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज दिनांक 4 –5 –2026 को जारी की गई है।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.11 17:42:29 IST
Reason: SelfAttested